

फर्द अहकाम

छीतरमल शर्मा उर्फ विमल कुमार प्रधान बनाम राजस्थान सरकार  
पत्र संख्या: 176/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21.02.2025	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम अचरावाला, पटवार हल्का कपुरावाला, भू अपिलेख नि. मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल खाता खाता संख्या नया 35 पुराना 33 में खसरा नम्बर 496 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.42 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या नया 179 पुराना 40 में खसरा नम्बर 2648 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2649 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2662 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2663 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2678 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2679 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2694 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2702 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2785 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2786 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.35 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी छीतरमल पुत्र स्व. श्री कल्याण के नाम से अविभाजित कृषि भूमि स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी को बचपन में छीतर मल के नाम से जाना व पहचान जाता है लेकिन दस्तावेजात कमशः है आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल, मे विमल कुमार प्रधान पुत्र स्व. श्री कल्याण सहाय प्रधान दर्ज है, जबकि राजस्व रिकोर्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा ऊपर वर्णित ग्राम अचरावाला में स्थित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम में छीतर मल पुत्र स्व. कल्याण अंकित किया हुआ है तथा छीतर मल व विमल कुमार प्रधान दोनो ही प्रार्थी के अर्थात एक ही व्यक्ति के दो नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में छीतर मल पुत्र कल्याण के स्थान पर विमल कुमार प्रधान पुत्र स्व. श्री कल्याण सहाय प्रधान के नाम से शुद्धीकरण किये जाने के आदेश फरमावे।</p>	

.....लगातार  
जयपुर (दिलीग)

21.02.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी का प्रारम्भ से ही नाम छीतर मल एवं विमल कुमार प्रधान है और प्रार्थी के विमल कुमार प्रधान के नाम ही राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड बिजली का बिल शैक्षणिक दस्तावेजात आदि बने हुये है। छीतर मल व विमल कुमार प्रधान दोनो ही प्रार्थी के अर्थात एक ही व्यक्ति के दो नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। छीतर मल पुत्र कल्याण के स्थान पर विमल कुमार प्रधान पुत्र स्व. श्री कल्याण सहाय प्रधान किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र नाम दूरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र नाम दूरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम अचरावाला, पटवार हल्का कपुरावाला, भू अभिलेख नि. मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल खाता खाता संख्या नया 35 पुराना 33 में खसरा नम्बर 496 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 501 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.42 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या नया 179 पुराना 40 में खसरा नम्बर 2648 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2649 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2662 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2663 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2678 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2679 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2694 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2702 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2785 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2786 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.35 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम छीतर मल पुत्र कल्याण के स्थान पर विमल कुमार प्रधान पुत्र स्व. श्री कल्याण सहाय प्रधान नाम दूरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उप-खण्ड अधिकारी,  
जयपुर (दिलीग)